



# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

## Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in

Website : [www.ccsuniversity.ac.in](http://www.ccsuniversity.ac.in)

पत्रांक:-सम्बद्धता /1465/2026-27

दिनांक : 22-6-2026

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या  
समस्त सम्बद्ध विधि संस्थान/महाविद्यालय  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय: पी0जी0 डिप्लोमा इन साईबर काईम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2026-27 में सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 26.07.2024 के मद संख्या-05 के सापेक्ष पारित निर्णय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध विधि संस्थानों को विधि संकायान्तर्गत साईबर काईम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः शैक्षिक सत्र 2025-26 में सम्बद्धता विस्तारण की अनुमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त प्रदत्त सम्बद्धता की अवधि दिनांक 30.06.2026 को पूर्ण होने जा रही है ऐसे विधि संस्थान/महाविद्यालय जो साईबर काईम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2026 से सम्बद्धता विस्तारण कराना चाहते हैं, को सूचित एवं निर्देशित किया जाता है कि वे संस्थान/महाविद्यालय सन्दर्भित पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2026 से सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरिक्षण मण्डल के सन्दर्भ में दिनांक 25.06.2026 तक निर्धारित शुल्क (रूपये 74,175/-) जमा कराने के उपरान्त अपना प्रत्यावेदन प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा

भवदीय  
22/6/26  
सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:-

01. व्यक्तिगत सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सज्ञानार्थ।
02. व्यक्तिगत सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
03. संकायाध्यक्ष विधि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सूचनार्थ।
04. प्रभारी वैबसाईट चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)